न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–53/2017/भीलवाड़ा (2017/00075)

1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि स्व0 कन्हैयालाल, **(फौत) नाम तर्क**
2. राधेश्याम पुत्र स्व0 कन्हैयालाल,
3. श्रीमती लादी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल,
4. श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 कन्हैयालाल,
   समस्त जाति ब्राहमण्, निवासी ग्राम डाबला, तह0 बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

अपीलांट्स

बनाम

1. जमनालाल पिता मादूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम करेड़ा, तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 27.12.2016 अंतर्गत अपील संख्या 03/2015.

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 05.3.2018

अपीलांटस ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाबला में आराजी किता 10 रकबा 27-03-00 बीघा भूमि माधू पिता नगजी ब्राहमण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । माधू पिता नगजी का स्वर्गवास दिनांक 16. 5.1978 को होने के उपरांत उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में विरासत से अपीलांटस के पिता कन्हैयालाल एवं हरिशंकर, जो लाऔलाद फौत हो चुका है, के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 को दर्ज की गई जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है । स्व0 माधूलाल के तीन पुत्र क्रमशः कन्हैयालाल, हरिशंकर व जमनालाल थे । माधूलाल के स्वर्गवास के बाद विरासत से भूमि केवल मात्र कन्हैयालाल व हरिशंकर के नाम दर्ज की गई जबकि रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल भी मृतक माधूलाल का पुत्र होकर विधिक वारिस है । अतः नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 को अपास्त कर रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल का नाम भी माधूलाल की आराजियात में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 27.12.2016 को पारित कर नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, बनेड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नवीन निर्णय पारित करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।
xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । विरासती नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 के बाबत् राजस्व वाद संख्या 92/1998 बउनवान जमनालाल बनाम हरिशंकर उपखण्ड अधिकारी, भीलावड़ा के न्यायालय में दर्ज हुआ था, जो दिनांक 25.5.1999 को अदम पैरवी में समझौते के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 ने खारिज करवा लिया था । उपखण्ड अधिकारी के इस निर्णय को रेस्पो0 संख्या 1 ने आज दिवस तक चुनौती नहीं दी है जिससे उक्त आदेश अंतिम हो चुका है तथा रेस्पो0 संख्या 1 के विवादित आराजियात में किसी प्रकार के हक व अधिकार नहीं रह गये थे । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कारण रहित आदेश पारित किया है जबकि अधी0न्याया0 को विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करना चाहिये था । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1147 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे

बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने बदनियतिपूर्वक नामांतकरण संख्या 266 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जबकि ग्राम करेड़ा स्थित आराजी में वर्तमान अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में समझौते के मुताबिक अपीलांटस द्वारा अपने हक व हिस्से के संबंध में हक त्याग किया गया तथा करेड़ा की भूमि बाबत् संपूर्ण इंद्राज रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक करवाया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित पारिवारिक समझौता दिनांक 15.3.1999 को तहरीर करवाया तथा इसी समझौते के आधार पर वाद संख्या 92/1996 खारिज करवाया है एवं तत्पश्चात् समझौता के मुताबिक हरिशंकर की आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.6.1999 द्वारा क्रय किया गया जो स्वंय के द्वारा पारिवारिक सम्पति की संपूर्ण जानकारी होने एवं स्वंय के नाम अपीलांट से ग्राम करेड़ा की आराजी का विधिक दस्तावेज से हक त्याग कराकर पुनः आराजी हडपने की गरज से उक्त प्रकरण अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । xx

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में जानकारी दिनांक 31.8.2013 को होना अंकित किया है जबकि रेस्पो0 को नामांतकरण की जानकारी स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा इंद्राज दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत राजस्व वाद जो कि दिनांक 25.5.1999 को अदम हाजरी में खारिज हुआ था, से पूर्व से ही थी । इस प्रकार रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष जानकारी के संबंध में किया गया कथन असत्य एवं झूंठा था परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मियाद बिन्दू को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई प्रकरण परिसीमा अवधि से बाहर परिसीमा अधि0 के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होता है, तो न्यायालय के लिये ऐसे प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने डी0एन0जे0 (राज0) 1988 पेज 767 एवं डी0एन0जे0 (सुप्रीमकोर्ट) 2009 पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत् पारिवारिक समझौता, बिकावनामा तहरीर हरिशंकर पुत्र माधूलाल के पक्ष में, समझौता बिकाव पत्र अपीलांट के पक्ष में, नामांतकरण संख्या 266 को यथावत् रखते हुए वाद खारिज करवाने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 266 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत मात्र रेस्पो0 संख्या 1 के मौखिक कथनों पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 27.12.2016 को अपास्त किया जावे

तथा नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करावे । xx

5- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 27.12. 2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.4.2017 को हुई जब अपीलांट प्रकरण की जानकारी के संबंध में अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में दिनांक 27.12.2016 को निर्णय हो चुका है तथा निर्णय की सूचना पत्र व्यवहार द्वारा प्रदान की गई थी किन्तु अपीलांट्स को अधिवक्ता द्वारा भेजी गई सूचना कभी भी प्राप्त नही हुई । तत्पश्चात् अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया जाने पर दिनांक 5.5.2017 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार माधूलाल थे जिनके तीन पुत्र क्रमशः कन्हैयालाल, हरिशंकर व जमनालाल थे। खातेदार पिता माधूलाल की मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान तीनों पुत्रों में विवादित आराजी दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु ग्राम पंचायत, डाबला ने विवादित आराजी कन्हैयालाल व हरिशंकर पुत्रगण माधूलाल के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 से दर्ज की तथा रेस्पो0 संख्या 1 को पिता की विरासत से वंचित कर दिये जाने के कारण इसलिये नामांतकरण 266 प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 266 अपास्त किया है । रेस्पो0 संख्या 1 हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 के तहत माधूलाल का प्रथम श्रेणी का वारिस है जिसका नाम भी कन्हैयालाल व हरिशंकर के साथ माधूलाल की विरासत से दर्ज किया जाना चाहिये था । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि हरिशंकर पुत्र माधूलाल भी नाऔलाद फौत हो गया है इसलिये उसके हिस्से की आराजियात भी अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य बराबर–बराबर दर्ज होनी चाहिये । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स पारिवारिक समझौते की बात करते है किन्तु अपीलांट्स ने कोई लिखित पारिवारिक समझौता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । यह भी कथन किया कि सहमति पत्र का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है । विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत वाद को न्यायालय ने अदम–अदम हाजरी में खारिज किया है ना कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा खारिज करवाया गया है । बहस में आगे कथन किया कि जहां प्रकरण में पक्षकारों के हित निहित हो वहां मियाद का बिन्दू गौण हो जाता है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । अपने

कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 1581, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 811, आर0आर0टी0 2011–12 पेज 195, आर0बी0जे0 2006 (13) पेज 486, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 237, आर0आर0डी0 1995 पेज 224 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7- हम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिवक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम डाबला, तहसील बनेड़ा स्थित आराजी खाता संख्या 328 आराजी खसरा नंबर 497, 498, 499, 1762, 1763, 1885, 2119, 2149, 2177, 2246, कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के तत्कालीन खातेदार माधूलाल पिता नगजी थे । माधूलाल के तीन पुत्र क्रमशः कन्हैयालाल, जमनालाल एवं हरिशंकर है, इनमें से हरिशंकर नाऔलाद फौत हो गया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12. 1978 को इस आधार पर चुनौती दी है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 266 तस्दीक करते समय रेस्पो0 संख्या 1 जो कि मृतक खातेदार पिता माधूलाल का प्रथम श्रेणी का वारिस होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने माधूलाल की मृत्यु उपरांत नामांतकरण संख्या 266 स्वीकृत करते समय उक्त नामांतकरण में रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल का नाम दर्ज न कर केवल कन्हैयालाल एवं हरिशंकर पुत्रगण माधूलाल के नाम तस्दीक किया है जो विधिविरूद्ध है । इसके विपरीत अपीलांट्स का कथन है कि विवादित आराजियात के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 एवं अपीलांट्स के मध्य पूर्व में पारिवारिक समझौता हुआ था जिसके अनुसार ग्राम डाबला स्थित आराजियात अपीलांट्स के पक्ष में रखी गई थी, एवं उक्त पारिवारिक राजीनामा स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 ने कन्हैयालाल एवं हरिशंकर के पक्ष में तस्दीक किया है जो पारिवारिक समझौता दिनांक 15.3.1999 की तहरीर से साबित है तथा इसी कारण रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद को खारिज करवा लिया था । उक्त वाद को खारिज करवाने का अंकन तहरीर में अंकित है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट्स को हैरान–परेशान करने की नियत से अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण की जानकारी होने के बावजूद भारी मियाद बाहर नामांतकरण संख्या 266 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो विधिविरूद्ध है ।

9- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम डाबला स्थित खाता संख्या 328 कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार माधू पि0 नगजी ब्राह्मण थे । माधू के दिनांक 16.5.1978 को फौत होने पर

विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 266 दिनांक 26.12.1978 को ग्राम पंचायत, डाबला द्वारा कन्हैयालाल एवं हरिशंकर पुत्रगण माधूलाल के नाम स्वीकृत किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हरिशंकर पुत्र माधू नाऔलाद फौत हुआ तथा वर्तमान अपीलांट्स कन्हैयालाल पुत्र माधूलाल के वारिसान है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी ग्राम करेड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि माधूलाल के नाम ग्राम करेड़ा में आराजियात थी तथा खातेदार माधूलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम करेड़ा की आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 482 दिनांक दिनांक 31.12.1979 एवं नामांतकरण संख्या 483 दिनांक 31.12.1979 से कन्हैयालाल, हरिशंकर व जमनालाल के नाम दर्ज हुई है । पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.6.1999 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ग्राम डाबला कन्हैयालाल एवं हरिशंकर पुत्रगण माधू के नाम बराबर–बराबर दर्ज होने पर हरिशंकर पुत्र माधूलाल ने अपने हिस्से की आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के कन्हैयालाल को बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया है । इस प्रकार ग्राम डाबला स्थित संपूर्ण आराजियात का एकमात्र खातेदार काश्तकार अपीलांट्स के पिता कन्हैयालाल हो गये थे । पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 ग्राम करेड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम करेड़ा के खसरा संख्या 6740 से 6742, 6745, 6752 एवं 6755 कुल किता 6 कुल रकबा 5 है0 संपूर्ण आराजियात जमनालाल पुत्र माधूलाल के नाम राजीनामा अनुसार दर्ज हो चुकी है । अपीलांट्स का मुख्य कथन यह रहा है कि पारिवारिक समझौते अनुसार ग्राम करेड़ा की आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल के हिस्से में तथा ग्राम डाबला की आराजियात कन्हैयालाल एवं हरिशंकर के हिस्से में रखी गई थी ।

10- इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध लिखत दिनांक 19.9.1990 का अवलोकन किया गया । उक्त लिखत अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल ने ग्राम डाबला की जमीन में अपने हिस्से का बैचान अपीलांट्स के पिता कन्हैयालाल को रू0 10,000/– कर दिया था । उक्त लिखत/पारिवारिक समझौता के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्राम डाबला की आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 जमनालाल का कोई हक व हिस्सा नहीं रह गया था । इस संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा 100/–रू0 के स्टाम्प पर किये गये समझौते का अवलोकन किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त समझौता पत्र दिनांक 15.3.1999 को तहरीर कराया है जिसमें यह अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन वाद 176/98 उनवानी जमनालाल बनाम हरिशंकर प्रस्तुत किया गया था । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा राजीनामा अनुसार ग्राम डाबला की आराजियात अपीलांट्स के पक्ष में रखते हुए एवं पूर्व इंद्राज कन्हैयालाल एवं हरिशंकर के नाम यथावत् रखने का समझौता किया तथा आराजियात में कमी–बैशी की राशि प्राप्त कर तहरीर जारी की तथा यह भी अंकित किया कि ग्राम डाबला की आराजियात बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की चाराजोही नही करने का भी अंकन किया है तथा इस संबंध में उपखण्ड

अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन वाद 176/98 उनवानी जमनालाल बनाम हरिशंकर को खारिज करवा लेगा । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त समझौता पत्र दिनांक 15.3.1999 के अनुसार उक्त वाद संख्या 176/98 को दिनांक 25.5.1999 को खारिज करवा लिया है ।

11- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0के समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 266 की अपील में जानकारी दिनांक 31. 8.2013 होने का कथन किया है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 176/98 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 को उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही नामांतकरण संख्या 266 की जानकारी थी । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण की अपील में तथ्य छिपाकर, विलंब के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की तथा विलंब के संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये जाने के बावजूद अधी0न्याया0 ने विलंब के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित किये बिना अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 1998 राज0 पेज 767 प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक वाद, अपील और याचिका हेतु परिसीमा का बंधन विहित है तो प्रथम परिसीमा का प्रश्न निपटाया जावेगा भले ही इस संबंध का विवाद नहीं उठाया गया हो ।

12- उपरोक्त विवेचन के क्रम में पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात को लेकर पारिवारिक समझौता हो चुका था तथा उक्त समझौते से पक्षकारान बाधित है, परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 266 के विरूद्ध तथ्य छिपाकर भारी मियाद बाहर अपील पेश की किन्तु अधी0न्याया0 ने मियाद को निर्णित किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12. 2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 53/2017 (2017/00075) बउनवानी रूकमणी बनाम जमनालाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 बउनवान जमनालाल बनाम श्रीमती रूकमणी में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 को अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित

कर निर्देश दिये जाते है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष भारी मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम मियाद बिन्दू को निर्णित करे तथा विलंब समुचित कारणों से क्षम्य किये जाने की स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 05.3.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर